

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—०५९४४—२४००७१

पत्रांक. न-३ / एफ०एस० / ऑनलाईन / २०२४

दिनांक १८/०३/२०२४

स्वामी / प्रबन्धक
ए० बी० सी० अल्मामेटर,
गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत्।

विषय— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन UTD NO-18075604 दिनांक ०५/०३/२०२४ के अनुसार ऐ० बी० सी० अल्मामेटर, गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत् की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट की ऑनलाईन संस्कृति के अनुसार स्थापित समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा रिफलिंग कराकर निर्धारित टैस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत संरथान में अग्निशमन उपकरणों को सादैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विरतार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र खतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार ऐ० बी० सी० अल्मामेटर, गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत् को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक १८/०३/२०२४ से १७/०३/२०२५ तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :—

- १ सभी याहर निकलने या बच्चाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- २ आपके संरथान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- ३ सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- ४ भवन/संरथान में विद्युत धन्त्रों की स्थापना, बैंडीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एसिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- ५ संरथान के विरतार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मार्नचित्र अनुमोदित करायाकर भानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- ६ संरथान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर पृथक से कम्प्यूटर लैब में ०१ अदद सीओ२ फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता ४.५ किया अस्य लैब में ०२ अदद एबीसी फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता ५ किया ०४ अदद सैण्ड बैकेट एवं जनरेटर के पास ०१ अदद एबीसी फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता ०५ किया ०४ अदद सैण्ड बैकेट निर्धारित एलेटफार्म के प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।


Principal
ABC Alma Mater School
Champawat Uttarakhand

१८/०३/२०२४
गुरु गोरखनाथ सुरक्षा
गुरु गोरखनाथ अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य